

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 30/2013 अ०दी०

लज्जाराम पुत्र भागीरथ आयु 61 वर्ष, जाति  
कुशवाह, निवासी ग्राम कीरतपुरा वार्ड न० 17  
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....अपीलॉन्ट/प्रतिवादी

बनाम

मूर्ति मंदिर श्री रामजानकी ट्रस्ट कमेटी गोहद  
चौराहा परगना गोहद द्वारा तथा कथित ट्रस्ट  
अध्यक्ष कृपाराम पुत्र गोकुलप्रसाद आयु 56 वर्ष  
निवासी मेंहगाँव, हाल गोहद चौराहा, परगना  
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....रिस्पोंडेंट/वादी

---

अपीलार्थी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रति अपीलार्थीग द्वारा श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता।

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 27-2-15 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद, पीठासीन अधिकारी श्री केशव सिंह के द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 06ए/12 ई०दी० मूर्ती रामजानकी ट्रस्ट कमेटी गोहद वि० नरेश श्रीवास में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2013 से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी मूर्ती मंदिर रामजानकी ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत दावा स्वीकार करते हुए वादग्रस्त स्थल का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी से दिलाए जाने की आज्ञा पारित की गई है।
02. प्रकरण में यह अविवादित है कि मूर्ती श्री रामजानकी ट्रस्ट की भूमि गोहद चौराहा जिला भिण्ड में स्थिति है। सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में अपीलार्थी को प्रतिवादी के रूप में तथा प्रतिअपीलार्थी को वादी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

03. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी का दावा संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम कीरतपुरा गोहद चौराहा के स्वामित्व व आधिपत्य की सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 है। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि भूमियाँ और दुकानें भी स्थिति है जो कि वादी मंदिर के स्वामित्व व आधिपत्य की है। उक्त ट्रस्ट जो कि एक विधिवत गठित ट्रस्ट होकर पंजीबद्ध है। जिसमें कृपाराम निर्वाचित ट्रस्ट के अध्यक्ष है। ट्रस्ट कमैटी के ठहराव के द्वारा मंदिर की ओर से समस्त कार्यवाही करने हेतु कृपाराम को अधिकृत किया गया है। मंदिर की किसी भी सम्पत्ति से, किसी भी व्यक्ति का कोई हित नहीं रहा है।

04. वादी के द्वारा अपने दावे में आगे यह भी बताया गया है कि वादी ट्रस्ट की उक्त भूमि में से कुछ भाग जो कि विवादित भूमि है जिसको कि दावे के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है जिसके पूर्व से पश्चिम 20 फिट तथा उत्तर से दक्षिण 20 फिट है। जिसकी चतुर सीमा उत्तर में वादी का खेत, दक्षिण में गोहद चौराहा से भिण्ड रोड, पूर्व में मंदिर की जमीन जिस पर मातादीन का अतिक्रमण तथा पश्चिम में मंदिर की जगह है जिस पर नरेश का अतिक्रमण है जो कि विवादित भूमि के रूप में है। प्रतिवादी के द्वारा वादी की भूमि के उक्त वादग्रस्त स्थल के आगे गोहद चौराहा भिण्ड रोड पर सड़क के किनारे दुकान बनाई जो कि सन् 2005 में शासन के द्वारा शासकीय जगह होने से अतिक्रमण हटाया गया और प्रतिवादी ने दिनांक 01.05.2005 को मंदिर के स्वामित्व की विवादित जगह पर अतिक्रमण कर लिया है। प्रतिवादी को उक्त स्थल पर कब्जा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। वादी के द्वारा दिनांक 02.05.2005 को एक आवेदन मंदिर की जगह पर से कब्जा हटाने के लिए एस0डी0एम0 गोहद को दिया। राजस्व निरीक्षक ने पटवारी मौजा को साथ लेकर जाँच कराई गई और विवादित जगह पर प्रतिवादी का अतिक्रमण पाया जाने पर अधिक्रमण हटाए जाने का निर्देश दिया गया, उस वक्त पुलिस बल उपलब्ध न होने से राजस्व निरीक्षक के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका और प्रतिवादी झगडा करने पर उतारू हो गया। दिनांक 01.07.2010 को प्रतिवादी ने वादग्रस्त जगह पर मिट्टी के गिलाव में पत्थर की दीवाल बनाकर टीनसेट डाल लिया। वादी ट्रस्ट के द्वारा उसे कब्जा हटाने के लिए कहा गया। प्रतिवादी ने कब्जा हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। उक्त स्थल पर कब्जा बनाये रखने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। विवादित स्थल से प्रतिवादी का अतिक्रमण हटाए जाने बावत् दिनांक 31.08.2010 को नोटिस दिया गया, लेकिन प्रतिवादी ने कोई जबाव नहीं दिया और न ही अतिक्रमण हटाया, बल्कि अवैध रूप से मिष्ठान की दुकान दिनांक 15.08.12 को एक ही दिन में प्रारंभ कर दी। ट्रस्ट के द्वारा रोके जाने पर झगडा करने पर उतारू हो गए और उसके द्वारा कहा गया कि विवादित जगह कुशवाह समाज की है उस पर जबरन कब्जा कर के स्थाई निर्माण करेंगे, तब प्रतिवादी की बदनियती जाहिर हुई।

वह वादग्रस्त स्थल को हड़पना चाहता है। वादी ट्रस्ट प्रतिवादी से उक्त अपने स्वामित्व की उपरोक्त जगह पर अतिक्रमण हटाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। दावे को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वादग्रस्त स्थल से कब्जा बापस प्रतिवादी से दिलाए जाने और उसे अतिक्रमण मुक्त किए जाने तथा 6000/- रूपए वार्षिक क्षतिपूर्ति दिनांक 01.05.05 से कब्जा बापसी तक दिलाए जाने और उस पर ब्याज दिलाए जाने का निवेदन करते हुए दावा पेश किया गया है।

05. प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त आवेदनपत्र का जबाव पेश करते हुए वादी के वादपत्र के अभिवचनों में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त शेष कथनों को इंकार किया है। सर्वे क्रमांक 7 रकबा 1.690 पर वादी की कोई दुकानें नहीं बनी है। सर्वे न. 7 भिण्ड ग्वालियर रोड पर स्थिति नहीं है, बल्कि रोड और इस सर्वे के बीच शासकीय नाली है। वादग्रस्त स्थल की चतुरसीमा वादी ने गलत दर्शाई है। प्रतिवादी के कब्जे की जगह जिस पर टीनसेट बना है। उक्त स्थल सर्वे न0 7 का भाग नहीं है। कृपाराम ट्रस्ट का निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है और न ही उसे न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है वह व्यक्तिगत हितों के लिए मंदिर का अध्यक्ष बना है और गलत आधारों पर उसके द्वारा दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा वादी की भूमि पर कोई भी दुकान नहीं बनाई गई है, बल्कि अपने पिता के जमाने से सन् 1984 से मिट्टी की दीवाल पर टीन डालकर चाय की दुकान चला रहा है जो सड़क के किनारे शासकीय जगह पर है। मंदिर के स्वामित्व की जगह पर दुकान नहीं है। वादग्रस्त स्थल पर प्रतिवादी के द्वारा कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही वर्ष 2005 में हुई है। दिनांक 01.07.2010 को भी प्रतिवादी के द्वारा कोई भी मिट्टी की गिलाव में पत्थर की दीवाल बनाना एवं टीनसेट डालकर अतिक्रमण नहीं किया है और न ही उसके ट्रस्ट के कथित अध्यक्ष कृपाराम से उसकी कोई बात हुई, उसे गलत रूप से नोटिस दिया गया है। वादी को कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। अतिरिक्त आपत्ति में प्रतिवादी के द्वारा यह आधार लिया गया है कि वह सन् 1984 से ही शासकीय जगह जो कि रोड के किनारे गोहद चौराहे के पास चाय का ठेला लगा रहा है। जब से नगरपालिका गोहद के अंतर्गत उक्त क्षेत्र शामिल हुआ है तब से नगरपालिका इसका किराया उससे ले रही है। उक्त जगह गोहद चौराहा वार्ड क्रमांक 18 में नगरपालिका सीमा होकर शासकीय जगह है, वादी का इससे कोई संबंध नहीं है। वैकल्पिक रूप से प्रतिवादी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि यदि वादग्रस्त स्थल में वादी के सर्वे क्रमांक 7 का कुछ अंश है भी तो मंदिर के पूर्व ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा मलोकदास और ट्रस्टी कल्याण द्वारा प्रतिवादी के पिता भागीरथ को दिनांक 22.11.1984 को 30/- रूपए प्रतिमाह के किराए से दिया गया था और एकमुस्त दो हजार रूपए किराए के जमा कराए थे। इस प्रकार वादी उस

पर किराएदार है। दावा पेश गलत रूप से पेश करना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. वादी एवं प्रतिवादी उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादप्रश्नों की रचना की गई है जिनके संबंध में निष्कर्ष लेखबद्ध किया गया है तथा विवादित स्थल वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का होना प्रमाणित मानते हुए और उस पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण किया जाना भी प्रमाणित मानते हुए वादी का दावा स्वीकार कर इस संबंध में निर्णय व आज्ञा पारित की गई है।

07. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री कानून के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया है। वादग्रस्त स्थल के संबंध में राजस्व अधिकारियों के द्वारा सीमांकन कराई जाकर रिपोर्ट मंगाई जाने के संबंध में प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा विधिवत आवेदनपत्र पेश किया गया था, किन्तु इस संबंध में सीमांकन बावत् कोई आदेश नहीं दिया गया, जबकि सीमांकन की कार्यवाही आवश्यक थी। उक्त भूमि शासकीय भूमि होने से शासन आवश्यक पक्षकार था और उसे पक्षकार बनाए जाने का आवेदनपत्र भी गलत रूप से निरस्त किया गया है। विवादित स्थल पर उसके द्वारा लिए गए वैकल्पिक किराएदारी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मानते हुए उसे अतिक्रामक होना अवधारित किया गया है जो कि गलत है। ट्रस्ट से संबंधित दावा पेश करने एवं न्यायालयीन कार्यवाही संचालित करने हेतु कृपाराम को कोई अधिकार न होने के उपरांत भी उसे दावा पेश करने हेतु अधिकृत माने जाने और इस आधार पर दावा डिक्री किए जाने में भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूल की गई है। ऐसी दशा में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

08. प्रतिअपीलार्थी/वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उस में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप या फेर-बदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

9. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—

1. क्या वादग्रस्त स्थल वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है?
2. क्या प्रतिवादी के द्वारा मंदिर के स्वामित्व की विवादित भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कर के कब्जा कर लिया गया है?

3. क्या वादी कृपाराम को वर्तमान दावा पेश करने का अधिकार है?
4. क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विधान के विपरीत होने से अपास्त किया जाने योग्य है?

—:विचारणीय बिन्दुओं पर निष्कर्ष के आधार:—

बिन्दु क्रमांक 1, 2 व 3 पर निष्कर्ष :-

10. वादी के द्वारा वादग्रस्त स्थल जिसकी चतुरसीमा दावे के साथ संलग्न नक्शा में उसके द्वारा दर्शाई गई है। उक्त स्थल उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य के सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 का भू-भाग होना जिसका कि वह भू-स्वामी और आधिपत्यधारी होने एवं उक्त स्थल पर प्रतिवादी के द्वारा अधिक्रमण कर अनधिकृत रूप से निर्माण कर लिये जाने के संबंध में अभिवचन किया है। प्रतिवादी के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 में विवादित स्थल होने से इंकार किया है और उसकी चतुरसीमा भी गलत रूप से दर्शाई जानी बताई है, बल्कि उसके द्वारा यह बताया गया है कि जिस जगह पर वह दीवाल व टीनसेट डालकर चाय की दुकान किये हुए है वह वादी मंदिर के स्वामित्व की जगह न होकर शासकीय जगह है और वह उक्त स्थल का किराया प्रतिदिन के हिसाब से नगरपालिका को देता है और बैकल्पिक रूप से उसके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि यदि उक्त स्थल को सर्वे क्रमांक 7 का अंश माना भी जाए तो उक्त स्थल ट्रस्ट के पूर्व अधिकारियों से अपने व उसके द्वारा दिनांक 22.11.1984 को 30/- रूपए प्रति माह के किराए पर उक्त स्थल लिया गया था और अग्रिम किराया अदा किया गया था। इस आधार पर भी उसके स्थिति अतिक्रामक की नहीं है।

11. अपीलार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि वादग्रस्त स्थल की स्थिति विवादित है इस संबंध में उसके द्वारा उसकी स्थिति को स्पष्ट करने हेतु राजस्व अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मंगाए जाने का निवेदन भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया था कि क्या वादग्रस्त स्थल आराजी नम्बर 7 में स्थिति है या शासकीय भूमि है और इसका निराकरण कमिश्नर रिपोर्ट से ही हो सकता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कमिश्नर नियुक्त करने के संबंध में उनका आवेदनपत्र गलत आधारों पर निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने तर्क में उनके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि वर्तमान दावा ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत है और ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत दावे में दावा प्रस्तुत करने से पूर्व सभी ट्रस्टियों की सहमति आवश्यक है जिसका कि अनुपालन नहीं हुआ है और मात्र वादी कृपाराम को वाद दावा पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसके द्वारा लिया गया बैकल्पिक आधार कि वह

विवादित स्थल पर किराएदार के रूप में है को अस्वीकार नहीं किया है, किन्तु इसके उपरांत भी बिना आधार के उसकी किराएदारी समाप्त करते हुए उसकी स्थिति अतिक्रमक के रूप में होनी अभिधारित की गई है जो कि गलत रूप से निकाला गया निष्कर्ष है।

12. सर्वप्रथम जहाँ तक भूमि सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 के स्वामित्व व आधिपत्य का प्रश्न है। इस संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 5 से स्पष्ट है कि भूमि सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 वादी ट्रस्ट के स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि है। इस संबंध में वादी के द्वारा किये गए अभिवचन को प्रतिवादी के द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार भी नहीं किया गया है। इस प्रकार भूमि सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 वादी ट्रस्ट के स्वामित्व आधिपत्य का होना प्रमाणित है।

13. वादग्रस्त स्थल की स्थिति के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा विवाद किया गया है और उसने वादग्रस्त स्थल को सर्वे क्रमांक 7 का भाग न होकर शासकीय भूमि होना जिस पर कि उसके द्वारा नगरपालिका को किराया अदा करना अभिकथित किया है।

14. वादग्रस्त स्थल की स्थिति जो कि वादी के द्वारा अपने दावे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाई गई है उसमें वादग्रस्त स्थल के उत्तर में वादी मंदिर का खेत, दक्षिण में गोहद चौराहा से भिण्ड रोड, पूर्व में मंदिर की जगह जिस पर मातादीन का अतिक्रमण और पश्चिम में मंदिर की जगह पर नरेश का अतिक्रमण होना बताया है। इस बिन्दु पर वादी साक्षी कृपाराम के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उपरोक्त वादग्रस्त स्थल भूमि सर्वे क्रमांक 7 का भू-भाग है जिस पर कि प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 01.05.2005 से अनधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है। इस संबंध में अतिक्रमण हटाए जाने बावत् एस.डी.ओ. गोहद को मंदिर ट्रस्ट की ओर से आवेदन दिया गया था जिस संबंध में जाँच उपरांत उनका अतिक्रमण पाए जाने पर वर्ष 2005 में अतिक्रमण हटाए जाने का निर्देश दिया गया था, किन्तु पुलिस वल के अभाव में अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा वादग्रस्त स्थल के संबंध में पूछे जाने पर स्पष्ट किया कि विवादित जगह के उत्तर में मंदिर का खेत है, पूर्व में मंदिर की जगह है जिस पर मातादीन का अतिक्रमण है, पश्चिम में मंदिर की जगह जिस पर रामनरेश का अतिक्रमण। इस प्रकार इस बिन्दु पर मुख्य परीक्षण में किये गए कथन पर वह अडिग रहा है। वादी साक्षी कलियानसिंह साक्षी क्रमांक 2 के द्वारा भी विवादित स्थल की उक्त सीमा होने का समर्थन किया है।

15. यह संबंध में यह भी उल्लेखनी है कि मंदिर ट्रस्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर अतिक्रमण होने के उपरांत वादी ट्रस्ट के द्वारा एस.डी.ओ. गोहद को एक आवेदनपत्र उस हुए अतिक्रमण हटाए जाने बावत् पेश किया गया है जिसकी कि सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 9 है। उक्त आवेदनपत्र पेश होने के उपरांत इस संबंध में विधिवत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण

क्रमांक 143/04-05 बी 121 में तहसीलदार के द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन तलब किया गया था जो कि आदेश की प्रति प्र.पी. 6 है जिसमें कि राजस्व निरीक्षक की राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी के द्वारा मौके की स्थिति के संबंध में पंचनामा प्र.पी. 8 तैयार किया गया है और उस पर अधिक्रमण होने बावत् रिपोर्ट तहसीलदार को दी गई है जो कि प्र. पी. 7 की रिपोर्ट है। उक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 7, पंचनामा प्र.पी. 8 में भी स्पष्ट रूप से प्रतिवादी लज्जाराम कुशवाह के द्वारा मंदिर रामजानकी की आराजी क्रमांक 7 रकवा 1.690 हे0 पर अतिक्रमण किये जाने का स्पष्ट उल्लेख आया है।

16. प्रतिवादी के द्वारा अपने जबाब में यह आधार लिया गया है कि विवादित स्थल रामजानकी ट्रस्ट की भूमि सर्वे क्रमांक 7 का भू-भाग न होकर शासकीय भूमि है जो कि भिण्ड ग्वालियर हाइवे से लगी हुई शासकीय भूमि है और जिस पर उसकी दुकान स्थिति है जिसका कि किराया वह नगरपालिका गोहद को प्रतिदिन के हिसाब से दे रहा है, विवादित स्थल वार्ड न0 18 नगरपालिका के अंदर होकर शासकीय भूमि है, वादी के द्वारा गलत रूप से अपने भू-स्वामित्व की भूमि उसे होना बताया जा रहा है। इसी आशय का कथन प्रतिवादी लज्जाराम प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन के शपथपत्र में भी किया गया है।

17. प्रतिवादी लज्जाराम प्रति0सा0क्र01 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन का जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि उसके ठेले के एक तरफ मातादीन की दुकान है जो कि पूर्व की दिशा में है और उसकी दुकान की बगल से लगी हुई पश्चिम में नरेश की दुकान है और उसके ठेले के पीछे मंदिर का खेत है तथा ठेले के सामने भिण्ड जाने वाली सड़क है। इस प्रकार प्रतिवादी के द्वारा भी वादी ने वादग्रस्त स्थल की जो स्थिति अपने दावे और दावे के साथ संलग्न नक्शे में बताई है उसे स्वीकार किया है। इसी बिन्दु पर प्रतिवादी साक्षी नंदकिशोर शर्मा के द्वारा भी उक्त सीमा का प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में स्वीकार किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि नरेश मातादीन की दुकान तथा प्रतिवादी की दुकान तीनों एक ही सीध में बनी हुई है, उक्त तीनों दुकानें एक सीध में बना होना प्रतिवादी साक्षी दीनानाथ साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में कोई भी ऐसा कागज पेश नहीं किया है कि उसकी दुकान सरकारी या नगरपालिका की जगह में स्थित है।

18. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी कंडिका 6 में इस बात को स्वीकार किया है कि सरकारी जगह में ठेला रखा होना गलत है और उसने अपने शपथपत्र में सन् 1984 में ट्रस्ट के अध्यक्ष से किराये पर जगह लेना लिखाया है वह सही है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी के उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में कि विवादित जगह सरकारी जगह नहीं है, बल्कि उसके द्वारा जो बैकल्पिक अभिवचन वादग्रस्त स्थल को उसे पिता ने किराये पर लेने के

संबंध में किया है वह बात सही है। इस प्रकार इस संबंध में कि विवादित स्थल मंदिर ट्रस्ट की भूमि है प्रतिवादी की उपरोक्त स्वीकारोक्ति है।

19. प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में लिया गया यह आधार कि वादग्रस्त स्थल की स्थिति कि वास्तव में वह शासकीय भूमि है अथवा मंदिर ट्रस्ट की भूमि है इसका निर्धारण वादग्रस्त भूमि के सीमांकन के उपरांत ही किया जा सकता है और इस संबंध में उसके द्वारा वादग्रस्त स्थल का निरीक्षण करने बावत् म0प्र0 कमीशन फोर लोकल इन्वेस्टीगेशन रूल्स 1962 के तहत राजस्व अधिकारी को कमिशनर नियुक्त कर कमिशनर प्रतिवेदन तलब किये जाने का आवेदन दिया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत रूप से निरस्त किया गया है जबकि विवादित स्थल की स्थिति कि वास्तव में वह सर्वे न0 7 का भाग है याह शासकीय है यह कमिशनर रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकता है।

20. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत तथा अन्य आवेदनपत्र राजस्व अधिकारी को कमिशनर नियुक्त कर प्रतिवेदन तलब करने बावत् आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. का निराकरण कर उपरोक्त दोनों आवेदनपत्रों को दिनांक 02.09.2013 को गुणदोषों के आधार पर निरस्त किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादी ट्रस्ट के द्वारा वर्तमान दावा उसकी भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण कर उसे कब्जा हटाए जाने बावत् पेश किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा इस संबंध में यद्यपि यह आपत्ति ली गई है कि जिस स्थल पर कब्जा है वह मंदिर ट्रस्ट की भूमि न होकर शासकीय भूमि है, किन्तु इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। यहाँ तक कि वह उक्त भूमि को शासकीय भूमि होने के आधार पर और नगरपालिका के क्षेत्र में होने से उसका प्रतिदिन का किराया नगरपालिका के देना बता रहा है। इस संबंध में कोई भी रसीद आदि पेश नहीं की गई है जिससे कि यह दर्शित होता कि वह उक्त स्थल का कोई किराया नगरपालिका को अदा कर रहा है। इस बिन्दु पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वयं प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि विवादित स्थल शासकीय नहीं है, बल्कि उसके पिता के समय से मंदिर कमेटी का किरायेदार होना वह बता रहा है। ऐसी दशा में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा मात्र इस आधार पर कि प्रतिवादी अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमीशन जारी करने की कार्यवाही करना चाहता है, कमीशन जारी करने से इंकार किया जाने का आदेश न देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस बिन्दु पर यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में वर्ष 2005 में मंदिर कमेटी के द्वारा विवादित स्थल पर कब्जा कर लिए जाने के संबंध में राजस्व अधिकारियों को दिया गया आवेदनपत्र के उपरांत मौके की जाँच की गई और उसमें



भी विवादित स्थल को मंदिर कमेटी की भूमि होने पाते हुए उस पर वर्तमान प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया है जो कि इस संबंध में पूर्व विवेचना के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है।

21. प्रतिवादी के द्वारा बैकल्पिक रूप से अपने अभिवचन में यह आधार भी लिया गया है कि वादग्रस्त स्थल पर उसका अतिक्रमण न होकर उसकी हैसियत किरायदार के रूप में है जो कि सन् 1984 में मंदिर के पूर्व ट्रस्ट अधिकारी के द्वारा उसके पिता को दिनांक 22.11.1984 को तीस रूपए प्रति माह के हिसाब से किराए बनाया गया था और दो हजार रूपए एडवांस किदया गया था। इसी तारतम्य में वह विवादित स्थल का किरायेदार है, उसकी हैसियत अतिक्रमक की नहीं है। निश्चित तौर से इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार कि विवादित स्थल पर प्रतिवादी की स्थिति किराएदार के रूप में है प्रतिवादी का है।

22. इस संबंध में प्रतिवादी लज्जाराम के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि यदि वादग्रस्त जगह वादी के सर्वे क्रमांक 7 के कुछ अंश में पाई जाती है तो ट्रस्ट के पूर्व अधिकारियों के द्वारा दिनांक 22.11.21984 को उक्त स्थल उसके पिता को किराए पर दी गई थी और एकमुस्त दो हजार रूपए भी प्राप्त किया गया था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी उसके पिता भागीरथ के हक में किराएनामा मंदिर ट्रस्ट की ओर से लिखा जाना बता रहा है और उसके द्वारा यह भी बताया है कि उसने किरायेनामे की फोटोकॉपी पेश की है। इस बिन्दु पर वादी कृपाराम को प्रतिवादी के द्वारा पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया है कि विवादित स्थल पर प्रतिवादी मंदिर ट्रस्ट का किरायेदार है तथा इस बात से भी इंकार किया है कि ट्रस्ट की ओर से दिनांक 22.11.1984 को प्रतिवादी के पिता के हक में कोई लिखापट्टी की गई थी। इसी बिन्दु पर वादी साक्षी कलियान सिंह को कथित किरायेनामे की फोटोकॉपी दिखाए जाने पर उसके द्वारा यह बताया गया है कि उक्त दस्तावेज पर मलुकदास के हस्ताक्षर नहीं है।

23. प्रतिवादी वादी ट्रस्ट से उसकी लिखित किरायेदारी होना बता रहा है। इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि इस आशय का कोई भी मूल दस्तावेज प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। मात्र कथित किराएनामे की फोटोकॉपी पेश की गई है। मूल दस्तावेज किन कारणों एवं परिस्थितियों में पेश नहीं किया गया है ऐसा कोई भी कारण या आधार प्रतिवादी के द्वारा नहीं बताया गया है। इस संबंध में उक्त फोटोकॉपी संबंधी दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाने बावत् भी कोई कार्यवाही प्रतिवादी के द्वारा नहीं की गई है। ऐसी दशा में जबकि इस बिन्दु पर कोई लिखतम दस्तावेज लिखा गया है और उसे विधिवत न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रमाणित नहीं किया गया है। मात्र फोटोकॉपी के आधार पर इस तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तदनुसार प्रतिवादी

के द्वारा लिया गया यह आधार कि वादग्रस्त स्थल पर वादी ट्रस्ट का किरायेदार है और किराएदार की हैसियत उसका विवादित स्थल का आधिपत्य है, यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

24. अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह आधार भी लिया गया है कि वर्तमान दावा जो कि मूर्ती मंदिर रामजानकी ट्रस्ट की ओर से पेश किया गया है, दावा मात्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपाराम की ओर से प्रस्तुत है जबकि ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत किसी भी दावे को पेश करने हेतु यह आवश्यक है कि दावा या तो सभी ट्रस्टियों के द्वारा लाया जाए अथवा ट्रस्ट की अनुमति व सहमति के आधार पर किसी एक सहड्रस्टी के द्वारा लाया जा सके। इस बिन्दु पर अपीलार्थी अधिवक्ता ने **लक्ष्मणप्रसाद वि० श्रीदेवजानकी रमन 1973 जे.एल.जे. 1904** रिफर किया गया है और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा सिविल अपील क्रमांक [662/07](#) हरीसिंह पुत्र रामदीन कुशवाह वि० ट्रस्ट कमेटी रामजानकी मंदिर निर्णय दिनांक 02.02.2012 की फोटोकॉपी पेश की गई है जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गा है कि पब्लिक ट्रस्ट से संबंधित दावे या तो सभी ट्रस्टियों की ओर से आने चाहिए अथवा ट्रस्टियों की सहमति एवं अनुमति के आधार पर सह ट्रस्टी के द्वारा पेश किया जा सकता है।

25. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। वर्तमान दावा जो कि मूर्ती मंदिर श्री रामजानकी कमेटी की ओर से ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष कृपाराम की ओर से ट्रस्ट की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने बावत् प्रतिवादी के द्वारा पेश किया गया है। इस संबंध में वादी ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत साक्षी कृपाराम साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि मूर्ती श्री रामजानकी ट्रस्ट गोहद चौराहा जो कि विधिवत ट्रस्ट गठित होकर पंजीबद्ध है जिसका कि वह निर्वाचित अध्यक्ष है उसे ट्रस्ट कमेटी के ठहराव के द्वारा मंदिर के हित में मंदिर की ओर से सम्पत्ति के विवाद के संबंध में दावा करने एवं बचाव करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस संबंध में वादी के द्वारा उसे दावा पेश करने हेतु अधिकृत किये जाने के संबंध में ट्रस्ट कमेटी के द्वारा पारित दिनांक 28.10.2009 के प्रस्ताव प्र.पी. 4 की फोटोप्रति प्र.पी. 4सी प्रकरण में पेश की गई है। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि प्र.पी. 4 का ठहराव जिसमें कि उसे ट्रस्ट के ओर से दावा पेश करने हेतु और बचाव करने हेतु अधिकृत किया गया है उसमें 41 में से 34 सदस्यों ने ठहराव कर उसे कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया था। इस संबंध में प्र.पी. 4 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि ट्रस्ट कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर जिसमें कि ट्रस्ट के 34 सदस्य मौजूद थे। ट्रस्ट की ओर से उसके अध्यक्ष कृपाराम जिसके द्वारा कि वर्तमान दावा लाया गया है उसे दावा पेश करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस प्रकार वर्तमान दावा

उपरोक्त संबंध में कि वादी ट्रस्ट की ट्रस्टियों के द्वारा जो प्रस्ताव के समय बैठक में मौजूद थे उकने द्वारा ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष कृपाराम को दावा पेश करने हेतु अधिकृत किये जाने का तथ्य प्रमाणित है। इस बिन्दु पर प्रतिवादी के द्वारा कोई विपरीत तथ्य प्रमाणित नहीं कराया जा सका है, बल्कि स्वयं उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपाराम के द्वारा सड़ संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उसे अधिकृत किये जाने के संबंध में बताया गया है और इस बिन्दु पर वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी कल्याणसिंह वादी साक्षी क्रमांक 2 जो कि ट्रस्ट का सदस्य होकर उसका कोषाध्यक्ष भी है के द्वारा भी स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि ट्रस्ट कमेटी के ठहराव के द्वारा मंदिर के हित में मंदिर की ओर से उसकी सम्पत्ति के विवाद के संबंध में दावे करने एवं प्रतिरक्षा करने हेतु कृपाराम को अधिकृत किया गया था। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त ठहराव के पश्चात् वादी ट्रस्ट की ओर से उसके अध्यक्ष कृपाराम के द्वारा दिनांक 31.08.2010 को सूचना पत्र प्र.पी. 1 भेजा गया है जो कि प्रतिवादी को प्राप्त हुआ है इस संबंध में एक्नॉलेजमेन्ट प्र.पी. 2 है। उक्त नोटिस का कोई जबाव भी प्रतिवादी के द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रकार कृपाराम जो कि मूर्ती मंदिर रामजानकी के ट्रस्ट की ओर से दावा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया है उसके द्वारा वर्तमान दावा ट्रस्ट की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु पेश किया गया है जो कि दावा पेश करने का कृपाराम को अधिकार होना पाया जाता है। तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1,2,3 का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4 पर निष्कर्ष:-

26. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना के परिप्रक्ष्य में स्पष्ट है कि प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त स्थल जो कि मूर्ती मंदिर रामजानकी ट्रस्ट के सर्वे क्रमांक 7 रकबा 1.690 का भाग है पर उसके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जबकि उक्त विवादित स्थल मूर्ती मंदिर रामजानकी ट्रस्ट की भूमि है। उक्त स्थल पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त स्थल पर प्रतिवादी की स्थिति किरायेदार के रूप में होनी भी प्रमाणित नहीं है और उसके द्वारा मिट्टी के गिलाब से दीवाल बनाकर टीनसेट डालकर उस पर कब्जा किया गया है। वादी ट्रस्ट के द्वारा कब्जा हटाने हेतु पूर्व में की गई कार्यवाही के उपरांत तथा प्रतिवादी को कब्जा हटाने हेतु कहा जाना और उसे कब्जा हटाने बावत् सूचना दिया जाना और उसकी तामीली के उपरांत भी प्रतिवादी के द्वारा विवादित स्थल का कब्जा नहीं हटाया गया। ऐसी दशा में जबकि कि प्रतिवादी की स्थिति अतिक्रामक से अधिक नहीं मानी जा सकती। वादी उक्त विवादित स्थल का कब्जा प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 5 का निराकरण किया जाता है।

27. वादग्रस्त सम्पत्ति जो कि वादी ट्रस्ट की सम्पत्ति है उस पर प्रतिवादी के द्वारा

अनधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया गया है। प्रतिवादी की हैसियत मात्र अतिक्रामक के रूप में है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दी गई फाईंडिंग एवं निकाला गया निष्कर्ष प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में निकाला गया निष्कर्ष तत्वात्मक एवं वैधानिक स्थिति के विपरीत नहीं है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में सर्वथा उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जाना पाया जाता है।

28. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में यद्यपि डिक्री पारित करते समय वादी को भूमि सर्वे क्रमांक 1.690 का स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किए जाने का उल्लेख भी किया गया है, जबकि वादी/प्रतिअपीलार्थी के द्वारा पृथक से इस प्रकार की कोई सहायता नहीं चाही गई थी, किन्तु मात्र इस आधार पर कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा न चाही गई सहायता के संबंध में भी डिक्री में उल्लेख किया गया है जबकि विवादित स्थल पर वादी ट्रस्ट का स्वामित्व अविवादित है, इस परिप्रेक्ष्य में यदि डिक्री में उक्त उल्लेख किया गया है तो इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव सम्पूर्ण निर्णय व डिक्री पर नहीं पड़ता।

29. इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में उचित रूप से विचार करते हुए एवं वादप्रश्नों पर निष्कर्ष निकालते हुए निर्णय तथा तदनुसार डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अवैधानिकता नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप न किए जाने का कोई आधार अथवा कारण नहीं है।

30. तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2013 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपीलार्थी अपनी अपील का व्यय स्वयं वहन करेगा एवं प्रतिअपीलार्थी का अपील का व्यय भी उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

तदनुसार डिक्री पारित की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

